रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274140
CG-DL-E-04072026-274140

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948
No. 472] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

सा.का.नि. 524(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1996 को, जहाँ तक उनका संबंध मनोवैज्ञानिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र के कार्यालयों में, मनोवैज्ञानिक समूह "ख" (राजपत्रित), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र, मनोवैज्ञानिक समूह 'ख' (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविंदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनोवैज्ञानिक।	21*(2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)	चयन।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) मनोवैज्ञानिक तकनीक या परामर्श या व्यावसायिक मार्गदर्शन या व्यवसाय परामर्श के अनुप्रयोग में तीन वर्ष का अनुभव; या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या प्रशिक्षण या शिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मार्गदर्शन मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेख बद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिपप्ण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेख बद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) 67% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 33% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) मे ऐसे पुनर्वास परामर्शदाता जिन्होंने किसी दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी की हों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कर्तव्यों और उत्तरदायितों के सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या क़ानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.) या समतुल्य में उस पद मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते है।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष;** 2. उप सचिव (प्रशासन), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य**; 3. संयुक्त निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य;** 4. अवर सचिव, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य।** **समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे-** 1. निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष**; 2. उप सचिव (प्रशासन), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य**;	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. संयुक्त निदेशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य**; 4. अवर सचिव, (रोजगार महानिदेशालय), श्रम और रोजगार मंत्रालय - **सदस्य।**	

[फा.सं. डीजीई-ए-12018/1/2025-ईई-।।]

अंजलि रावत, उप महानिदेशक (रोजगार)।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Vocational Rehabilitation Centres (Group 'B' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Psychologist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Psychologist, Group 'B' (Gazetted), in the offices of the National Career Service Centre for Differently Abled under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled, Psychologist, Group 'B' (Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Psychologist.	21* (2026)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400)	Selection.	Not exceeding 30 years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Masters degree in Psychology from a recognised University or institute; and (ii) three years experience in the application of psychological technique or counselling or vocational guidance or career counselling; or three years experience of rehabilitation or training or teaching of persons with disability. **Desirable:** Post Graduate diploma in Guidance Psychology or diploma in Medical and Social Psychology from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of the probation period as prescribed by the Central Government.	(i) 67% by direct recruitment; and (ii) 33% by promotion, failing which deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Rehabilitation Counselor in, level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in any National Career Service Centre for Differently Abled and have successfully completed two weeks training in the relevant field of duties and responsibilities, as prescribed by the Competent Authority. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Deputation (including short-term contract):** Officers of Central Government or State Government or Union territory or autonomous or statutory organisation or public sector understandings or University or recognized research institution- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,124,00) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: -** 1. Director (Employment) Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Chairperson;** 2. Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member;** 3. Joint Director (Employment) – **Member;** 4. Under Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member.** **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: -** 1. Director (Employment) Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Chairperson;** 2. Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – **Member;** 3. Joint Director (Employment) – **Member;** 4. Under Secretary, (Directorate General of Employment), Ministry of Labour and Employment – **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DGE-A-12018/1/2025-EE-II]

ANJALI RAWAT, Dy. Director General (Employment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA